न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान भूरा बनाम गोहनलाल

कदमा संख्या/वर्ष टी0आई0 17/2024

.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	03/02/25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विजय शर्मा व अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 05 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकिशोर चौधरी हाजिर। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम सारंगकाबास, पटवार हल्का दुर्जनियावास, भू.अ.नि. क्षेत्र व तहसील कालवाड़, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 209/433 रकबा 1.0117 है0 भूमि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण 03 लगायत 05 के नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर 209 रकबा 0.5817 है0 भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज है। दोनो खसरे पृथक–पृथक खातों में दर्ज है, परन्तु राजस्व नक्शें में दोनों खसरे एक ही खसरा नम्बर 209 में दर्शित किये गये थे। सेग्रीगेसन के दौरान खसरा नम्बर 209/433 रकबा 1.0117 है0 में अप्रार्थीगण 01 के नाम दर्ज किये गये तथा खसरा नम्बर 209 रकबा 0.5817 है0 प्रार्थी व अप्रार्थीगण 03 लगायत 05 के नाम दर्ज कर दिया गया, खातेदारों की मौका व कब्जा की स्थिति विपरीत हो गई। अतः मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि खसरा नम्बर 209/433 रकबा 1.0117 है0 में प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करावे। अप्रार्थीगण की विधिवत् तामील पूर्ण करवाई गई। बावजूद सम्यक् तामील अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 05 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी ने कभी भी वाद प्रस्तुत करने हेतु नहीं कहा एवं अप्रार्थी ने हस्ताक्षर करने से भी मना नहीं किया। उत्तरदाता रिकॉर्डेड सह खातेदार काश्तकार है। जिसमें अपने हिस्से की भूमि पर पुख्ता तामीरात कर मकानात् बनाकर, पशुओं का बाड़ा बनाकर परिवार सहित निवास व कृषि कर रहा है। सहखातेदार किसी दूसरे सहखातेदार को किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी नहीं है।	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन कर न्यायालय यह पाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 209/433 रकबा 1.0117 है0 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 06 की सहखातेदारी की भूमि है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 06 अपने हिस्से की भूमि में काबिज होकर शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के मद संख्या 06 में उल्लेखित किया है कि वर्तमान में सेग्रीगेशन एवं ऑनलाईन नक्शा करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबंदी के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 209 के राजस्व नक्शे को अलग–अलग तरमीम तो कर दी, परन्तु प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 05 के कब्जे काश्त की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 के खसरा नम्बर 209 अंकित कर दिए एवं अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि पर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी 03 लगायत 05 के खसरा नम्बरान 209/433 दर्ज कर दिये यानि, जमाबंदी में रकबा व खसरा नम्बर सही अंकित किये है, परन्तु नक्शें में तरमीम मौके के विपरीत की गई। चूंकि जमाबंदी में रकबा व खसरा नम्बर सही है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की कोई सम्भावना नहीं है। चूंकि भूमि सहखातेदारी की अविभाजित भूमि है, इसलिए प्रत्येक खातेदार का हक व अधिकार निहित होता है और खसरा नम्बर 209 में अप्रार्थी संख्या 01 रिकॉर्डेड खातेदार है इसलिए सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, इसलिए प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03/02/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम